रामदास शिवराम सतूर

बनाम

रमेशचंद्र पोपटलाल शाह और अन्य

20 अगस्त, 2007

[डॉ. अरिजित पसायत और डी. के. जैन, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

आदेश 41 नियम 19 - वाद / अपील का उपशमन - प्रतिवादी संख्या 3 और 6 के संबंध में पैरवी के अभाव में अपील को खारिज करना - पुनर्स्थापना आवेदन - प्रतिवादी संख्या 6 के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन की अनुमति, प्रतिवादी संख्या 3 के संबंध में नहीं - निर्णीतः प्रतिवादी संख्या 5 से 7 प्रतिवादी संख्या 3 के विधिक प्रतिनिधि थे और वाद / अपील में पक्षकार थे - इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 की पुनर्स्थापना का आवेदन को अस्वीकार करने में उच्च न्यायालय न्यायोचित्त नहीं था - लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके एलआर पहले से ही रिकॉर्ड पर है - जहां तक प्रतिवादी संख्या 3 का संबंध है,

अपील का उपशमन नहीं होगा, क्योंकि 90 दिनों की अवधि के बाद अपील का उपशमन स्वतः हो जाता है - न्यायालय को न्यायोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उदार होना चाहिए तथा बहुत ज्यादा तकनीकी नहीं होना चाहिए।

वादग्रस्त भूखंड का स्वामित्व अपीलकर्ता के पिता और प्रतिवादी संख्या 3 के पास था। प्रतिवादी संख्या 3 का नाम सहकारी समिति के रिकॉर्ड में नामांकित व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया था। पिता की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूखंड प्रतिवादी संख्या 3 के नाम हस्तांतरित कर दिया गया। उसने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (मूल वादीगण 1 और 2) के साथ वादग्रस्त भूखण्ड विक्रय का समझौता किया, हालांकि उसने विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया। वादी ने प्रतिवादी संख्या 3, उसके तीन बेटे, एक बेटी और सहकारी समिति के विरुद्ध वाद दायर किया। विचारण न्यायालय ने वाद को डिक्री किया और विक्रय पत्र के निष्पादन का निर्देश दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने डिक्री की पुष्टि की। व्यथित अपीलकर्ता ने द्वितीय अपील दायर की। उक्त अपील को उच्च न्यायालय ने 20.6.1986 को स्वीकार कर लिया और अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री पर रोक लगा दी गई।

अतिरिक्त पंजीयक ने पैरवी के अभाव में प्रतिवादी संख्या 3 और 6 के संबंध में अपील खारिज कर दी।

इसके बाद अधिवक्ता बदल गया। जब अन्य अधिवक्ता उपस्थित हुई, तो उसने पाया कि रिकॉर्ड का पता नहीं लगाया जा सकता और अंततः प्रतिवादी संख्या 3 और 6 के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया और उक्त प्रतिवादियों के संबंध में पुनर्स्थापना की प्रार्थना की गई।

उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 6 के संबंध में आवेदन की अनुमति दी जानी थी लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 के संबंध में पुनर्स्थापना के लिए अनुमति देने का मामला नहीं बनना पाया गया। तदनुसार आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

अपील में अपीलकर्ता ने इस न्यायालय में तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादी संख्या 3 और 6 दोनों की स्थिति समान थी। यह कथन गया कि पूर्व अधिवक्ता द्वारा की गई गलती प्रतिवादी संख्या 5 और 7 के संबंध में देखी गई थी। यह ध्यान में आया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 5, 6 और 7 वर्तमान

अपीलकर्ता के साथ, प्रतिवादी संख्या 3 के एकमात्र विधिक वारिस हैं जिनकी अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए प्रतिवादी संख्या 5 और 7 के संबंध में खारिज आदेश को अपास्त कर दिया गया।

न्यायालय ने, अपील स्वीकार करते हुए

निर्णीतः 1. मृत प्रतिवादियों / उत्तरदाताओं के नाम हटाने का परिणाम यह होता है कि मृतक के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्री अंतिम हो जाती है। यदि डिक्री अविभाज्य है और पक्षकारों के अधिकार प्रतिस्पर्धी पक्षकारों और मृतक के बीच अविभाज्य हैं, तो परिणाम यह होगा कि वाद / अपील का समग्र रूप से उपशमन हो जाएगा। लेकिन यदि उत्तरदाताओं या प्रतिवादियों में से कोई एक पहले से ही रिकॉर्ड पर है, तो मौजूदा प्रतिवादियों या प्रतिवादियों को मृत प्रतिवादी या प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों के रूप में स्थानांतरित करने के लिए एक औपचारिक आवेदन या ज्ञापन दायर करके न्यायालय को सूचित करने की आवश्यकता है। अधिवक्ता द्वारा की गई गलती को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को उसके प्रभाव पर विचार करना होगा।

[पैरा 11] [106- बी- डी]

राम सकल सिंह बनाम मोसमात मोनाको देवी (मृत) और अन्य, [1997] 5 एससीसी 192 और मिठाईलाल दलसांगर सिंह और अन्य बनाम अन्नाबी देवराम किनी और अन्य, [2003] 10 एससीसी 691, पर विश्वास किया।

2. एक बार कानूनन रूप से वाद का उपशमन हो गया हो, यद्यपि वाद का उपशमन मानकर खारिज करने का कोई विशिष्ट आदेश रिकॉर्ड में पारित नहीं किया गया हो, फिर भी विधिक प्रतिनिधियों या मृत पक्ष के विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने का प्रस्ताव करने वाला कोई अन्य आवेदक उपशमन को अपास्त करने की मांग करेगा। विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने की प्रार्थना को यानी अनुमति दी जाती है, तो इसका प्रभाव उपशमन को अपास्त करने जैसा होगा क्योंकि उपशमन को अपास्त करने के अनुतोष की मांग हालांकि शब्दों में व्यक्त नहीं की गई है, परंतु उसकी मांग आवश्यक रूप से असल में निहित है। ऐसे मामलों में बहुत अधिक तकनीकी या पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है।

[पैरा 12] [106 - जी - एच; 107 - ए, बी]

3. उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के संबंध में पुनर्स्थापना के लिए आवेदन को अस्वीकार करना न्यायोचित्त नहीं था। लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके विधिक प्रतिनिधि यानी अपीलकर्ता और प्रतिवादी 5, 6 और 7 पहले से ही रिकॉर्ड पर हैं। जहां तक प्रतिवादी संख्या 3 के संबंध में अपील का उपशमन नहीं होगा।

[पैरा 13] [108-बी]

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 3807

द्वितीय अपील संख्या 357 में 1986 के सिविल आवेदन संख्या 1362 में 2002 में बॉम्बे न्यायपालिका के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 25.04.2006 से।

अपीलकर्ता की ओर से गौरव अग्रवाल।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रशांत कुमार, अजय मजीठिया, राजेश कुमार और कैलाश चंद।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में अपीलकर्ता द्वारा द्वितीय अपील में बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है; विशेष सिविल वाद संख्या 42 में 1981 के प्रतिवादी संख्या 3 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') की धारा 100 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष। अपील की सुनवाई के दौरान, सीपीसी के आदेश एक्सएलआई नियम 19 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें विद्वान अतिरिक्त पंजीयक द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.3.1987 को अपास्त करने की मांग की गई थी, जिसके तहत पैरवी के अभाव में प्रतिवादी संख्या 3 और 6 के खिलाफ दूसरी अपील को खारिज कर दिया था। दूसरी अपील में आवेदक यानी वर्तमान अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के नाम को मृतक - प्रतिवादी संख्या 3 के विधिक प्रतिनिधि के रूप में दर्शित करने की प्रार्थना की गई थी। आक्षेपित आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 6 की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 3 के संबंध में उसे खारिज कर दिया।

3. तथ्यात्मक पहलुओं का संक्षिप्त संदर्भ यहां आवश्यक है: वादग्रस्त भूखण्ड का स्वामित्व किसी शिवराम यानी अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 3 के पिता के पास था। प्रतिवादी संख्या 3 ताराबाई का नाम सहकारी हाउसिंग सोसायटी के रिकॉर्ड में नामांकित व्यक्ति के रूप में दिखाया गया था। शिवराम की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूखण्ड ताराबाई के नाम कर दिया गया। कथित तौर पर उसने मूल वादी 1 और 2 यानी वर्तमान उत्तरदाताओं 1 और 2 के साथ विक्रय का एक करार किया। चूँकि ताराबाई ने उक्त विक्रय करार के अनुसरण में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया, वादी ने ताराबाई और उसके तीन बेटों और एक बेटी यानी मूल प्रतिवादी 3 से 6 के खिलाफ वाद दायर किया जिसमें सहकारी समिति को भी प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में शामिल किया गया था। ताराबाई ने जवाब दावा दाखिल किया और वादीगण के दावे को अस्वीकार किया। प्रतिवादी संख्या 3 यानी अपीलकर्ता ने वाद के दावे को अस्वीकार किया और तर्क दिया कि ताराबाई, जैसा कि जवाब दावा में कहा गया है, केवल एक नामांकित व्यक्ति थी और एकल स्वामित्व का अधिकार उसमें निहित नहीं था। विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ताराबाई ने विक्रय का करार को निष्पादित किया था और उसने अन्य प्रतिवादियों के साथ

दुरभिः संधि कर करार का उल्लंघन किया था। इसलिए, प्रतिवादी 1 और 3 को वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था।

उक्त आदेश से व्यथित होकर, ताराबाई के साथ-साथ वर्तमान अपीलकर्ता और सहकारी समिति ने सिविल अपील संख्या 772 में 1984 दायर की। हालांकि, अपील खारिज कर दी गई और विचारण न्यायालय की डिक्री की पुष्टि की गई। व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने मूल वादी, सहकारी समिति और उत्तरदाताओं 3 से 7 यानी प्रतिवादी 1 से 4, 5 और 6 के खिलाफ दूसरी अपील दायर की। उक्त अपील को उच्च न्यायालय ने 20.6.1986 को स्वीकार कर लिया और अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री पर स्टे कर दिया।

4. रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं 1, 2 और 4 को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजा गया था, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 को नाजिर की टिप्पणी "ड्यूटी पर चले गए" के साथ नोटिस चस्पांगी से तामिल कराया गया था। प्रतिवादी संख्या 6 को नोटिस "अधूरा पता" टिप्पणी के साथ बिना तामिल लौटाया। उच्च न्यायालय ने देखा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय अपील नियम,

1960 के अध्याय 7 नियम 6(id) के प्रावधानों के अनुसार, अपीलकर्ता को निर्धारित अवधि के भीतर डाक टिकट पेश करना आवश्यक था। डाक टिकट पेश नहीं किया गया जिस पर अतिरिक्त पंजीयक ने आदेश दिनांक 20.3.1987 द्वारा पैरवी के अभाव में ताराबाई (द्वितीय अपील में प्रतिवादी संख्या 3) और प्रतिवादी संख्या 6 के संबंध में अपील खारिज कर दी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि आपत्तियों का निराकरण न होने के कारण अपील खारिज कर दी गई। पुनर्स्थापना के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और दिनांक 10.11.1997 के आदेश को अपास्त करके 6.4.1999 को अपील का पुनर्स्थापन कर दिया गया था। उस समय अपीलकर्ता ने कथन किया कि द्वितीय अपील उत्तरदाताओं 5 और 7 के खिलाफ उपशमन हो गई है और वह केवल प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ पुनर्स्थापना के लिए सिविल आवेदन पेश किया था। तदनुसार इसे पुनर्स्थापन कर दिया गया था।

5. इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि जो अधिवक्ता पहले पेश हो रहा था उसने वकालत छोड़ दी। जब एक अन्य अधिवक्ता उपस्थित हुई, तो उसने पाया कि रिकॉर्ड का पता नहीं लगाया जा सकता है और अंततः उत्तरदाताओं 3 और 6 के संबंध में उच्च

न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया और उक्त उत्तरदाताओं के संबंध में पुनर्स्थापना की प्रार्थना की गई।

6. पुनर्स्थापना के प्रार्थना का वर्तमान उत्तरदाताओं 1 और 2 द्वारा विरोध किया गया। उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 6 के संबंध में आवेदन की अनुमति दी जानी थी, लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 के संबंध में पुनर्स्थापना के लिए अनुमति देने का मामला नहीं बनना पाया गया था। तदनुसार आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

7. अपील के समर्थन में, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। उत्तरदाताओं 3 और 6 दोनों की स्थिति समान थी। यह कथन किया था कि पूर्व अधिवक्ता द्वारा की गई गलती उत्तरदाताओं 5 और 7 के संबंध में कारित की गई थी। ध्यान में आया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि वर्तमान अपीलकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 5, 6 और 7 प्रतिवादी संख्या 3 के एकमात्र विधिस वारिस हैं जिसकी अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए, प्रतिवादी 5 और 7 के संबंध में खारिज के आदेश को

रहने के 5,000/- रुपये की कोस्ट के भुगतान पर अपास्त कर दिया गया था।

8. उत्तरदाता संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जहां तक प्रतिवादी संख्या 3 का संबंध है, संबंधित मामले में काफी देरी हुई है। प्रतिवादी संख्या 3 और प्रतिवादी संख्या 6 की स्थिति अलग है। केवल इसलिए कि प्रतिवादी संख्या 6 के संबंध में आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, प्रतिवादी संख्या 3 के संबंध में अपील को पुनर्स्थापना करने का आधार नहीं हो सकता।

9. चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसे रिकॉर्ड पर लाने का सवाल ही नहीं उठता। जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23 मार्च, 2004 में सिविल आवेदन 1361/2002 में अंकित किया था, अपीलकर्ता और उत्तरदाता 5, 6 और 7 प्रतिवादी संख्या 3 के एकमात्र विधिक वारिस हैं। 23 मार्च 2004 का आदेश अंतिम हो गया है, और उत्तरदाता 5 और 7 पहले से ही रिकॉर्ड पर है। आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 6 के संबंध में अपील को पुनर्स्थापना करने का निर्देश दिया जा चुका है।

10. उपशमन से संबंधित मामलों में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण पर इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में व्यक्त किया गया।

11. राम सकल सिंह बनाम मोसामत मोनाको देवी (मृत) और अन्य में [1997] 5 एससीसी 19 में विचार किया गया कि:

> "13. श्री रंजीत कुमार, स्पष्ट रूप से प्रक्रियात्मक भाग का गलत समझ के कारण, मृत उत्तरदाताओं 8 से 15 की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिक प्रतिनिधियों के स्थानान्तरण की मांग करने के बजाय, नाम हटाने की मांग की गई है। मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून में योग्य और हकदार कुछ व्यक्तियों के पहले से रिकॉर्ड पर मौजूद होने के बावजूद, मृत प्रतिवादियों / उत्तरदाताओं को हटा दिया गया था। विलोपन का परिणाम यह होता है कि मृतक के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्री अंतिम हो जाती है। यदि डिक्री अविभाज्य है और पक्षकारों के अधिकार प्रतिस्पर्धी पक्षकारों और मृतक के बीच अविभाज्य हैं, तो परिणाम यह होगा कि वाद

/ अपील पूरी तरह से उपशमित हो जाएगी। लेकिन यदि प्रतिवादी / प्रतिवादी या प्रतिवादी / प्रतिवादी में से कोई एक पहले से ही रिकॉर्ड पर है, तो मौजूदा प्रतिवादी / प्रतिवादीगण या उत्तरदाता / उत्तरदाताओं को मृत प्रतिवादी / प्रतिवादीगण या उत्तरदाता / उत्तरदाताओं के विधिक प्रतिनिधि के रूप में स्थानांतरित करने के लिए एक औपचारिक आवेदन या ज्ञापन दायर करके अदालत को सूचित करने की आवश्यकता है। अधिवक्ता द्वारा की गई गलती को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को उसके प्रभाव पर विचार करना होगा। तथ्यों के आधार पर हमारे मत में न्याय के लिए मामला आगे बढ़ेगा यदि अधिवक्ता की ओर से प्रक्रिया के बारे में गलत समझ को माफ कर दिया जाए और यदि उत्तरदाताओं 8 और 15 को हटाने के बजाय उत्तरदाताओं 9 और 10 को प्रतिस्थापित किया जाए और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में स्थानांतरित किया जाए। मृतक प्रतिवादी 8 और प्रतिवादी 16 को प्रतिवादी 15 के विधिक प्रतिनिधि के रूप में स्थानांतरित किया जाता है।"

12. मिठाईलाल दलसांगर सिंह और अन्य बनाम अन्नाबी देवराम किनी और अन्य, [2003] 10 एससीसी 691, अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें व्यक्त किया गया कि:

"8. चूंकि उपशमन के परिणामस्वरूप मामले का गुणावगुण के आधार पर सुनवाई से इंकार कर दिया जाता है, इसलिए उपशमन के प्रावधान को सख्ती से समझा जाना चाहिए। दूसरी ओर, उपशमन को अपास्त करने की प्रार्थना और उपशमन के परिणामस्वरूप खारिज की प्रार्थना पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। किसी उपशमन को अपास्त करने के लिए विशिष्ट रूप से प्रार्थना किए बिना विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक साधारण प्रार्थना उपशमन को अपास्त करने के प्रार्थना के रूप में माना जा सकता है। इसलिए वाद में से किसी एक वादी के संबंध में उपशमन को अपास्त करने प्रार्थना को संपूर्ण वाद के उपशमन को खारिज करने की प्रार्थना के रूप में माना जा सकता है। निर्धारित सीमा अवधि के भीतर विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन करने में

विफलता से वाद स्वतः ही उपशमित हो जाएगा और वाद के उपशमन को खारिज करने के लिए किसी विशिष्ट आदेश की आवश्यकता नहीं है। एक बार वाद कानून रूप से उपशमित हो गया, यद्यपि वाद को खारिज करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है, फिर भी विधिक प्रतिनिधियों या मृत पक्ष के विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने का प्रस्ताव करने वाला कोई अन्य आवेदक उपशमन को अपास्त करने की मांग करेगा। विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने की प्रार्थना की यदि अनुमति दी जाती है, तो उपशमन को खारिज करने का प्रभाव होगा क्योंकि उपशमन को अपास्त करने की अनुतोष की मांग हालांकि शब्दों में व्यक्त नहीं की गई है, परंतु उसकी मांग आवश्यक रूप से असल में निहित है। ऐसे मामलों में बहुत अधिक तकनीकी या पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं होती है।

9. न्यायालयों को सर्वोच्च विचार में निर्धारित न्याय - उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना होगा कि आम तौर पर

एक पक्षकार को गुणावगुण के आधार पर वाद का निर्णय करने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वह घोर लापरवाही, जानबूझकर निष्क्रियता या कदाचार जैसी किसी चीज के कारण हकदार होने से खुद को न्यायालय की मदद से वंचित कर लिया। विचारण जज की राय, आदेश 22 के नियम 9 के उप - नियम (2) और परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अर्थ के भीतर "पर्याप्त कारण" की उपलब्धता के सवाल पर उपशमन को अपास्त करने की प्रार्थना और अनुमति देती है और निष्कर्ष दिए जाने के पश्चात सामान्यतः महत्व दिया जाना चाहिए और वरिष्ठ क्षेत्राधिकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

10. वर्तमान मामले में, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने आवेदन को आगे बढ़ाने में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण पाया और उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष उचित रूप से निकाला कि डिवीजन बेंच के हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। वास्तव में, डिवीजन बेंच ने उस निष्कर्ष को पलटा भी नहीं है;

बल्कि डिवीजन बेंच इस तर्क पर कि तीनों वादी द्वारा दायर किया गया वाद एक वादी की मृत्यु के कारण पूरी तरह से उपशमित हो गया है और फिर यह तथ्य कि दो जीवित वादी द्वारा कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। यदि मृतक वादी के विधिक प्रतिनिधियों ने संपूर्ण उपशमन को अपास्त करने का अनुरोध किया, तो वाद को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। हमारी राय में, डिवीजन बेंच द्वारा अपनाया गया ऐसा दृष्टिकोण बहुत ही बारीक तकनीकी है और इसके परिणामस्वरूप अन्याय होता है। पूरे वाद को खारिज करने के लिए न्यायालय द्वारा लिखित में कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। डिवीजन बेंच ने वाद को विधि के तहत पूरी तरह से उपशमित माना है। किसी भी पक्ष की मृत्यु की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि तक मुकदमा निलंबित अवस्था में रहता है। और फिर यह ख़त्म हो जाता है. व्युत्क्रम भी तार्किक रूप से अनुसरण करेगा। एक बार मृतक वादी के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा मृतक वादी के संबंध में उपशमन को रद्द करने के लिए प्रार्थना को अनुमति दे दी जाती

है और मृत वादी के विधिक प्रतिनिधि रिकॉर्ड पर आ जाए, वाद का गठन अच्छी तरीके से होने से वाद पुनर्जीवित हो जाएगा और वाद का उपशमन का अपास्त कर दिया माना जाएगा, भले ही इस संबंध में कोई विशेष प्रार्थना नहीं की गई थी और न्यायालय का कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं किया गया था।"

13. ऊपर देखी गई तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, जहां तक प्रतिवादी संख्या 3 का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्स्थापना के लिए आवेदन को अस्वीकार करना उचित नहीं था। लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके विधिक वारिस यानी अपीलकर्ता और उत्तरदाता 5, 6 और 7 पहले से ही रिकॉर्ड पर है जहां तक प्रतिवादी संख्या 3 के संबंध में अपील उपशमन नहीं होगी।

14. खर्च के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति स्वीकार की जाती है।

डी॰जी॰ अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जयराम जाट (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।